



## भारत में वाहनों से होने वाला उत्सर्जन

### प्रलम्ब के लिये:

वाहन उत्सर्जन और इससे संबंधित मुद्दे।

### मेन्स के लिये:

वाहनों से होने वाला उत्सर्जन और इसका प्रभाव, इस दशा में उठाए गए प्रमुख कदम।

## चर्चा में क्यों?

वर्ष 2030 तक भारत में कारों की वार्षिक बिक्री मौजूदा 3.5 मिलियन से बढ़कर लगभग 10.5 मिलियन हो जाने का अनुमान है, जो की तीन गुना अधिक है, जिससे वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में वृद्धि होगी।

- भारत वर्ष 2019 तक वाहन पंजीकरण के उच्चतम चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (10%) के साथ पाँचवां सबसे बड़ा वैश्विक कार निर्माता है।

## प्रमुख बट्टि:

### ■ भारत में वाहन उत्सर्जन:

- शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण वाहनों का उत्सर्जन है।
- आमतौर पर वाहनों से होने वाला उत्सर्जन वायु गुणवत्ता के श्वसन स्तर पर पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) 2.5 का 20-30% योगदान देता है।
  - PM2.5 उन कणों को संदर्भित करता है जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है (मानव बाल की तुलना में 100 गुना अधिक पतला) और लंबे समय तक नलिनबति रहता है।
- अध्ययनों के अनुसार, वाहन हर वर्ष PM2.5 के लगभग 290 गीगाग्राम (Gg) का उत्सर्जन करते हैं।
- साथ ही भारत में कुल ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन का लगभग 8% परविहन क्षेत्र से होता है और दल्लि में यह 30% से अधिक है।

### ■ वाहन उत्सर्जन (वशिव):

- परविहन क्षेत्र कुल उत्सर्जन का एक-चौथाई हसिसा है, जसिमें से सड़क परविहन तीन-चौथाई उत्सर्जन ( कुल वैश्विक CO2 उत्सर्जन का 15%) के लिये ज़मिमेदार है।
- इसका सबसे बड़ा हसिसा यात्री वाहन हैं, जो लगभग 45% CO2 उत्सर्जति करते हैं।
- यदयिही सथतिबिनी रही तो वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2050 में वार्षिक जीएचजी उत्सर्जन 90% अधिक होगा।

### ■ उत्सर्जन कम करने की दशा में भारत से संबधति मुद्दे:

- भारत में ईधन की गुणवत्ता में बदलाव, आंतरिक दहन इंजन (internal Combustion Engines- ICE) की नकिसा उपचार प्रणाली, वाहन खंडों के वदियुतीकरण और हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों की दशा में उठाए गए कदमों के साथ वाहन प्रौद्योगिकी तेज़ी से बदल रही है।
- लेकनि ICE वाहनों की वर्ष 2040 तक पर्याप्त हसिसेदारी होने की संभावना है।
- इसके लिये न केवल उत्सर्जन मानकों को सख्त करने की आवश्यकता है बल्कवशिव में उत्सर्जन को कम करने हेतु वाहनों के परीक्षण के लिये तकनीकी मानकों में संशोधन की भी आवश्यकता है।

### ■ उत्सर्जन परीक्षण की वधि:

- अधकिांश देशों ने वनिरिमाण चरण और उपयोग के दौरान वाहनों के परीक्षण हेतु नयिम तैयार कयि हैं।
- वाहन प्रमाणन प्रक्रियाओं के तहत प्रयोगशाला में 'इंजन चससि डायनेमोमीटर' पर इंजन प्रदर्शन परीक्षण और उत्सर्जन अनुपालन शामिल होता है।
- इसके पश्चात् सवीकार्य परीक्षण परणाम प्राप्त करने हेतु 'ड्राइव साइकल' (गत और समय के नरितर डेटा बट्टिओं की एक शृंखला जो त्वरण, मंदी और नषिक्रयिता के संदर्भ में ड्राइवगि पैटर्न का अनुमान लगाती है) का भी प्रयोग कयिा जाता है।
  - इसके माध्यम से वाहनों की वास्तविक ड्राइवगि सथतिजानने में मदद मिलति है, जसिसे उनसे होने वाले उत्सर्जन के बारे में भी पता चलता है।

### ■ भारत द्वारा तैयार की गई परीक्षण वधियाँ:

- 'इंडियन ड्राइव साइकल' (IDC) व्यापक सड़क परीक्षणों के आधार पर भारत में वाहन परीक्षण और प्रमाणन हेतु तैयार किया गया पहला 'ड्राइव साइकल' था।
  - 'इंडियन ड्राइव साइकल' एक छोटा सा चक्र था, जिसमें 108 सेकंड के छह ड्राइव मोड शामिल थे (त्वरण, मंदी और नषिकरयिता के एक पैटर्न को दर्शाते हुए)।
- कतिु IDC के तहत उन सभी जटलि ड्राइव स्थितियों को शामिल नहीं किया गया था, जो प्रायः आमतौर पर भारतीय सड़कों पर देखी जाती हैं।
- इसके बाद IDC में सुधार के रूप में 'मॉडफाइड इंडियन ड्राइव साइकल' (MIDC) को अपनाया गया, जिसमें शामिल मानक 'न्यू यूरोपियन ड्राइव साइकल' (NEDC) के समान हैं।
  - MIDC के तहत व्यापक ड्राइव मोड शामिल हैं और यह IDC की तुलना में काफी बेहतर है।
  - साथ ही MIDC व्यावहारिक दुनिया में ड्राइव के दौरान देखी गई वभिन्न स्थितियों को काफी बेहतर ढंग से कवर करता है।
- हालाँकि सुधारों के बावजूद, MIDC अभी भी यातायात घनत्व, भूमि उपयोग पैटर्न, सड़क बुनियादी अवसंरचना और खराब यातायात प्रबंधन में भिन्नता के कारण ऑन-रोड स्थितियों के दौरान वाहनों के उत्सर्जन का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है।
- इसलिये 'वर्ल्डवाइड हार्मोनाइज़्ड लाइट व्हीकल टेस्ट प्रोसीजर' (WLTP) को अपनाया आवश्यक हो गया है, जो क्आंतरिक दहन इंजन और हाइब्रिड कारों से प्रदूषकों के स्तर को निर्धारित करने हेतु एक वैश्विक मानक है।
- **व्यावहारिक दुनिया में उत्सर्जन का मापन:**
  - 'वास्तविक ड्राइव उत्सर्जन' (RDE) परीक्षणों को लेकर यूरोपीय आयोग, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन का सुझाव है कि 'ड्राइव साइकल' व प्रयोगशाला परीक्षण वास्तविक ड्राइव स्थितियों के दौरान संभावित उत्सर्जन को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं, क्योंकि वास्तविक स्थितियाँ प्रयोगशाला ड्राइव परीक्षण की तुलना में अधिक जटलि होती हैं।
    - 'वास्तविक ड्राइव उत्सर्जन' (RDE) 'वर्ल्डवाइड हार्मोनाइज़्ड लाइट व्हीकल टेस्ट प्रोसीजर' और समकक्ष प्रयोगशाला परीक्षणों की सीमाओं को समाप्त करने हेतु एक स्वतंत्र परीक्षण है, जिसके तहत माना जाता है कि सार्वजनिक सड़कों पर कोई कार कई तरह की परिस्थितियों का सामना करती है।
  - भारत में ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के लिये अंतरराष्ट्रीय केंद्र वर्तमान में आरडीई प्रक्रियाओं का विकास कर रहा है, जिनके वर्ष 2023 में लागू होने की संभावना है।
    - आरडीई चक्र को देश में प्रचलित स्थितियों, जैसे कम और अधिक ऊँचाई, साल भर तापमान, अतिरिक्त वाहन पेलोड, ड्राइव, शहरी और ग्रामीण सड़कों व राजमार्गों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिये।

## भारत में उत्सर्जन कम करने की पहल:

- **भारत स्टेज- IV (BS-IV) से भारत स्टेज-VI (BS-VI) उत्सर्जन मानदंडों में बदलाव:**
  - भारत चरण (बीएस) उत्सर्जन मानकों को सरकार द्वारा मोटर वाहनों सहित आंतरिक दहन इंजन और स्पाय्क-इग्नशन इंजन उपकरण से वायु प्रदूषकों के उत्पादन को वनियमित करने के लिये निर्धारित किया गया है।
  - केंद्र सरकार ने अनिवार्य किया है कि वाहन निर्माताओं को 1 अप्रैल 2020 से केवल BS-VI (BS-6) वाहनों का निर्माण, बिक्री और पंजीकरण करना होगा।
- **2025 तक भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण का रोडमैप:**
  - रोडमैप में अप्रैल 2022 तक E10 ईंधन की आपूर्ति करने के लिये इथेनॉल-मिश्रित ईंधन के क्रमिक प्रयोग और अप्रैल 2023 से अप्रैल 2025 तक E20 के चरणबद्ध प्रयोग का प्रस्ताव है।
- **हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन (FAME) योजना का तेज़ी से अंगीकरण और निर्माण:**
  - FAME India योजना का उद्देश्य सभी वाहन खंडों को प्रोत्साहित करना है।
  - **योजना के दो चरण:**
    - **चरण I:** वर्ष 2015 में शुरू हुआ और 31 मार्च, 2019 को पूरा हुआ
    - **चरण II:** अप्रैल, 2019 से शुरू होकर 31 मार्च, 2024 तक पूरा किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन:**
  - इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नीति और वनियमन में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ भारत के प्रयासों को संरेखित करते हुए कार्बन उत्सर्जन में कटौती तथा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग में वृद्धि करना है।

## स्रोत-डाउन टू अर्थ

## त्रैमासिक रोज़गार सर्वेक्षण

### प्रलिस के लिये:

अखलि भारतीय त्रैमासिक रोज़गार सर्वेक्षण, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, रोज़गार नीति सम्मेलन।

## मेन्स के लिये:

राष्ट्रीय रोजगार नीति

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा वर्ष 2021 की दूसरी त्रिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिये [त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण](#) (Quarterly Employment Survey- QES) के परिणाम जारी किये गए हैं।

- जुलाई-सितंबर 2021 की त्रिमाही में नौ चुनदा क्षेत्रों द्वारा सृजित कुल रोजगार 3.10 करोड़ था, जो अप्रैल-जून की अवधि की तुलना में 2 लाख अधिक है।

## प्रमुख बडि

- QES के बारे में:
  - त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (QES) 'ऑल-इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट-बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे' (All-India Quarterly Establishment-based Employment Survey- AQEES) का हिस्सा है।
    - इसमें कुल 9 क्षेत्रों के संगठित खंड में 10 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान शामिल हैं।
    - ये 9 क्षेत्र हैं- वनरिमाण, नरिमाण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं रेस्तराँ, आईटी/बीपीओ और वित्तीय सेवा गतिविधियाँ।
    - इन क्षेत्रों में गैर-कृषि प्रतिष्ठानों में कुल रोजगार का बहुमत मौजूद है।
  - **उद्देश्य:** सरकार को 'रोजगार पर एक बेहतर राष्ट्रीय नीति' तैयार करने में सक्षम बनाना।
  - **अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता:** इस सर्वेक्षण की शुरुआत 'अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन' (ILO) के 'रोजगार नीति सम्मेलन, 1964' के भारत के अनुसमर्थन के तहत की गई है।
    - इसके तहत अनुसमर्थन करने वाले देशों के लिये 'पूर्ण, उत्पादक और स्वतंत्र रूप से चुने जाने रोजगार को बढ़ावा देने हेतु डिजाइन की गई एक सक्रिय नीति' को लागू करने की आवश्यकता है।
    - भारत के पास अभी तक 'राष्ट्रीय रोजगार नीति' (NEP) मौजूद नहीं है।

## नोट:

- QES बनाम PLFS: जहाँ एक ओर 'त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण' (QES) श्रम बाजार में मांग-पक्ष की तस्वीर पेश करता है, वहीं [राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण](#) या 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण' (PLFS) श्रम बाजार की आपूर्तिपक्ष की तस्वीर प्रदान करता है।
  - साथ ही PLFS का संचालन [राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन](#) (NSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा किया जाता है।
- अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण (AQEES):
  - श्रम ब्यूरो द्वारा जारी इस अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण (AQEES) को नौ चुनदा क्षेत्रों के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार एवं प्रतिष्ठानों के बारे में लगातार (त्रिमाही) अद्यतन सूचना प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।
  - AQEES के दो घटक हैं:
    - त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (QES) और
    - एरिया फ़्रेम एस्टेब्लिशमेंट सर्वे (AFES)
  - QES 10 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों के लिये रोजगार अनुमान प्रदान करेगा।
  - AFES एक नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से असंगठित क्षेत्र (10 से कम श्रमिकों के साथ) को कवर करता है।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

## भारत-चीन-श्रीलंका ट्रायंगल

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन के वदेश मंत्री (CFM) ने श्रीलंका का दौरा किया है।

- इस बैठक के दौरान चीन के वदेश मंत्री ने हदि महासागर द्वीपीय राष्ट्रों के लिये एक मंच का प्रस्ताव रखा और यह भी कहा कि किसी भी 'तृतीय पक्ष' को चीन-श्रीलंका संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।
- यद्यपि 'तृतीय-पक्ष' के नाम का खुलासा नहीं किया गया, कति कई जानकार मानते हैं कि यह भारत के लिये कहा गया था।



## प्रमुख बदि

- **श्रीलंका यात्रा की मुख्य वशिषताएँ**
  - चीन के वदेश मंत्री की यात्रा में ऐतहासिकि 'रबर-राइस पैकट' (1952) की 70वीं वर्षगाँठ और चीन एवं श्रीलंका के बीच राजनयिकि संबंधों की स्थापना की 65वीं वर्षगाँठ के अवसर पर समारोह शुरु करने की परकिलपना की गई थी।
    - रबर-राइस पैकट के तहत चीन ने रबड़ और अन्य आपूर्तियों के आयात हेतु परतबिद्धता जाहिर की थी, क्योंकि श्रीलंका, जो कि रबड़ का एक प्रमुख नरियातक है, चावल की कीमत में वृद्धि और रबड़ की कीमत में गरिबट का सामना कर रहा था।
  - चीन के वदेश मंत्री द्वारा कोलंबो में कोलंबो पोर्ट सटि और हंबनटोटा पोर्ट (श्रीलंका में) का जकिर करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों पक्षों को इनका सही से उपयोग करना चाहिये।
  - उन्होंने श्रीलंका से **क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी** (Regional Comprehensive Economic Partnership- RCEP) की संभावनाओं पर वचार करने और मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत फरि से शुरु करने का आग्रह किये।
  - सर्वसम्मति और तालमेल बनाने तथा वकिस को बढ़ावा देने के लिये "हदि महासागर द्वीप देशों के वकिस पर एक मंच" भी प्रस्तावति किये गया था।
- **चीन-श्रीलंका संबंधों के बारे में:**
  - **श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता:** चीन श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता है।
    - श्रीलंका के सार्वजनिकि क्षेत्र को चीन द्वारा प्रदत्त ऋण केंद्र सरकार के वदेशी ऋण का लगभग 15% है।
    - श्रीलंका अपने वदेशी ऋण के बोझ को दूर करने के लिये चीनी ऋण पर बहुत अधिकि नरिभर है।
  - **अवसंरचना परियोजनाओं में नविश:** चीन ने वर्ष 2006-19 के बीच श्रीलंका की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में लगभग 12 अरब अमेरिकी डॉलर का नविश किये है।
  - **छोटे राष्ट्रों के हतियों में बदलाव:** श्रीलंका का आर्थिक संकट इसे अपनी नीतियों को बीजगि के हतियों के साथ संरेखति करने के लिये आगे और बाध्य कर सकता है।
  - **हदि महासागर में चीन का प्रभाव:** चीन का दक्षिण एशिया और हदि महासागर में दक्षिण पूर्व एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र की तुलना में अधिकि प्रभाव है।
    - चीन को ताइवान के वरिध में, **दक्षिण चीन सागर** और पूर्वी एशिया में क्षेत्रीय वविादों व अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया के साथ असंख्य संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है।
- **भारत की चिताएँ:**
  - **सागर पहल का वरिध:** प्रस्तावति हदि महासागर द्वीपीय देशों के मंच ने भारत के प्रधानमंत्री की **'सागर' (Security and Growth for All in the Region- SAGAR)** पहल के वरिध में आवाज उठाई।
    - हदि महासागर क्षेत्र (IOR) में एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की रणनीतिकि भूमिका है।
  - **वकिस से संबंधति मुद्दे: 99 वर्ष के पट्टे के हसिसे के रूप में चीन का श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह पर औपचारिकि नरिंतरण है।**
    - श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह शहर के चारों ओर एक वशिष आर्थिक क्षेत्र और चीन द्वारा वतितपोषति एक नया आर्थिक आयोग स्थापति करने का नरिणय लिये है।
    - भारत के ट्रांस-शिपमेंट कार्गो का 60% कार्य कोलंबो बंदरगाह से होता है।
    - हंबनटोटा और कोलंबो पोर्ट सटि परियोजना को पट्टे पर देने से चीनी नौसेना की लिये हदि महासागर में स्थायी उपस्थतिलगभग तय हो गई है जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये चतिजनक है।
    - भारत को घेरने की **चीनी रणनीतिकि स्ट्रेजि ऑफ परल्स स्ट्रैटेजी** कहा गया है।
  - **भारत के पड़ोसियों पर प्रभाव:** बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव जैसे अन्य दक्षिण एशियाई देश भी बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के वतितपोषण के लिये चीन की ओर रुख कर रहे हैं।

## आगे की राह

- **सामरिक हतियों का संरक्षण:** श्रीलंका के साथ नेबरहुड फर्स्ट की नीतिको पोषति करना भारत के लिये हदि महासागर क्षेत्र में अपने रणनीतिक हतियों को संरक्षति करने हेतु महत्त्वपूर्ण है ।
- **क्षेत्रीय मंचों का लाभ उठाना:** बमिस्टेक, सार्क, सागर और आईओआरए जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग प्रौद्योगिकी संचालति कृषि, समुद्री क्षेत्र के विकास, आईटी एवं संचार बुनयादी ढाँचे आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिये कयि जा सकता है ।
- **चीन के वसितार को रोकना:** भारत को ज़ाफना में कांकेसंतुराई बंदरगाह और त्रकिमाली में तेल टैंक फार्म परयोजना पर काम करना जारी रखना होगा ताकयिह सुनश्चिति हो सके कि चीन श्रीलंका में आगे कोई पैठ नहीं बना सके ।
  - दोनों देश आर्थिक लचीलापन पैदा करने के लिये नज्जि क्षेत्र के नविश को बढ़ाने में भी सहयोग कर सकते हैं ।
- **भारत की सॉफ्ट पावर का लाभ उठाना:** प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत अपनी आईटी कंपनयियों की उपस्थतिकि वसितार करके श्रीलंका में रोज़गार के अवसर पैदा कर सकता है ।
  - ये संगठन हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार पैदा कर सकते हैं तथा द्वीपीय राष्ट्र की सेवा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकते हैं ।

## स्रोत- द हदि

### संवेदनशील गवाहों की रक्षा करना: SC

#### प्रलिमिंस के लयि:

संवेदनशील गवाह जमा केंद्र (VWDC), अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार), भारत के संवधान का अनुच्छेद 141/142 ।

#### मेन्स के लयि:

भारत में गवाह संरक्षण, वैकल्पिक वविाद समाधान (एडीआर), संवेदनशील गवाह जमा केंद्र, धारा 377 आईपीसी, मानसकि स्वास्थ्य देखभाल अधनियिम, 2017

## चर्चा में क्यो?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) ने संवेदनशील गवाहों के अर्थ का वसितार करते हुए इसमें अन्य यौन उत्पीडन पीडितों, मानसकि रूप से बीमार, बोलने या सुनने में अक्षम लोगों को भी शामिल कयिा है ।

- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1996 और **फरि 2004 व 2017** के एक फैसले का हवाला दयिा जसिमें उसने इसी तरह के नरिदेश पारति कयि थे । जब उसने देश के सभी उच्च न्यायालयों को संवेदनशील गवाहों हेतु 2017 में दल्लि उच्च न्यायालय द्वारा तैयार कयि गए दशिा नरिदेशों को अपनाने के लयि कहा था ।

## प्रमुख बदि:

- **संवेदनशील गवाह:** संवेदनशील गवाहों का मतलब केवल बाल गवाहों तक सीमति नहीं होगा । इसमें नमिनलखिति भी शामिल होंगे:
  - यौन हमले के शकिार ।
  - [आईपीसी की धारा 377](#) (अप्राकृतिक अपराध) के तहत यौन उत्पीडन के शकिार ।
  - [मानसकि स्वास्थ्य देखभाल अधनियिम, 2017](#) में परभाषति मानसकि बीमारी से पीडति गवाह ।
- खतरों के शकिार गवाह और कोई भी भाषण या श्रवण बाधति व्यक्तया कसिी अन्य वकिलांगता से पीडति व्यक्तया
- **संवेदनशील गवाह जमा केंद्र (VWDC):** सर्वोच्च न्यायालय ने नरिदेश दयिा कसिभी उच्च न्यायालय (HC) दो महीने की अवधि के भीतर एक **संवेदनशील गवाह जमा केंद्र (VWDC)** योजना को अपनाएँ और अधसिचति करें ।
- **संवेदनशील गवाह जमा केंद्र (Vulnerable Witness Deposition Centre- VWDC)**
  - VWDC संवेदनशील गवाहों के साक्ष्य दर्ज़ करने के लयि एक सुरक्षति और बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करेगा ।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय से यह सुनश्चिति करने को कहा कि प्रत्येक ज़िले में एक VWDC हो ।
  - इन VWDC को **वैकल्पिक वविाद समाधान (ADR)** केंद्रों के नकिट स्थापति कयिा जाना चाहयि ।
- **हतिधारकों को संवेदनशील बनाना:** सर्वोच्च न्यायालय ने VWDC के प्रबंधन के लयि प्रशकिषण कार्यक्रम आयोजति करने और बार, बेंच व कर्मचारयिों सहति सभी हतिधारकों को संवेदनशील बनाने के महत्त्व की ओर भी इशारा कयिा है ।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मति्तल से अखलि भारतीय VWDC प्रशकिषण कार्यक्रम को डज़ाइन करने और लागू करने के लयि समतिके अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का आग्रह कयिा ।

- सर्वोच्च न्यायालय ने समिति के अध्यक्ष को प्रशिक्षण की योजनाओं हेतु एक प्रभावी इंटरफेस प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के साथ जुड़ने का भी निर्देश दिया।
- साथ ही न्यायालय ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को आवश्यक लॉजिस्टिक्स सहायता के समन्वय हेतु एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश दिया है।

## भारत में गवाह संरक्षण:

- वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने 'गवाह संरक्षण योजना- 2018' को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य एक गवाह को नडिर और सच्चाई से गवाही देने में सक्षम बनाना है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि:
  - अदालतों में स्वतंत्र रूप से गवाही देने का गवाहों का अधिकार **अनुच्छेद-21 (जीवन का अधिकार)** का हिस्सा है।
  - यह योजना भारत के संविधान के **अनुच्छेद 141 और 142** के तहत एक कानून के तौर पर लागू होगी।
  - न्यायपीठ ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को संवेदनशील गवाह केंद्र स्थापित करने को भी कहा है।
- यद्यपि यह योजना अभी तक संसद में लंबित है, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों में इस योजना को तुरंत लागू करने का आदेश दिया है और स्पष्ट कहा कि यह योजना देश में कानून के तौर पर लागू होगी।
- वर्षों से **वधि आयोग** की विभिन्न रिपोर्टों और न्यायालय के विभिन्न नरिणों में गवाहों की रक्षा करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है।
  - गुजरात राज्य बनाम अनरिद्ध सहि (1997), 14वें वधि आयोग की रिपोर्ट और **मलीमथ समिति** की रिपोर्ट ने गवाह संरक्षण योजना की सफारिश की है।

## आगे की राह

- गवाह 'न्याय की आँख और कान' होते हैं और ऐसे में यह योजना राष्ट्र की प्रभावी न्याय वितरण प्रणाली की दिशा में एक सही कदम साबित होगी।
- हालाँकि अब तक ऐसे कई तदर्थ कदम उठाए गए हैं, जिसमें संवेदनशील गवाहों हेतु कुछ समर्पित अदालत कक्ष और गवाहों की पहचान छुपाना (आतंकवाद वरिधी आदि जैसे मामलों में) आदि शामिल हैं, कति ये अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल रहे हैं।
- इसलिये गवाहों से छेड़छाड़ के खिलाफ नषिध पर ज़ोर देने के वधिायी उपाय मौजूदा समय की अपरहार्य आवश्यकता बन गए हैं।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

## भारत-दक्षिण कोरिया व्यापार वार्ता

### प्रलिमिंस के लिये:

दक्षिण कोरिया की अवस्थिति, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA), मुक्त व्यापार समझौते, अन्य देशों के साथ भारत के FTAs ।

### मेन्स के लिये:

भारत-दक्षिण कोरिया CECA का महत्त्व, भारत-दक्षिण कोरिया संबंध

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री ने वाणजिय एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री के साथ वार्ता की।



## प्रमुख बढि

- **व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते का उन्नयन:**
  - दोनों देश व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के उन्नयन संबंधी वार्ता पर चर्चा को नई गति प्रदान करने और दोनों देशों के उद्योग जगत के नेताओं के बीच व्यापार एवं निवेश पर व्यापक 'B2B' (व्यवसाय से व्यवसाय) वार्ता को बढ़ावा देने पर सहमत हुए।
- **द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य:**
  - भारत और दक्षिण कोरिया ने वर्ष 2030 से पहले 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया था, जिस पर वर्ष 2018 में आयोजित शिखर बैठक में सहमति व्यक्त की गई थी।
    - यह नयिमति वार्ता दोनों देशों के व्यापारिक समुदाय की कठिनाइयों और आपूर्ति शृंखला लचीलापन सहित उभरते व्यापार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करेगी।
  - दोनों पक्षों पारस्परिक लाभ हेतु नषिपक्ष और संतुलित तरीके से विकास करने के लिये द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने पर सहमत हुए।
  - कोरिया में कड़े नयिमक मुद्दों के कारण भारतीय कंपनियों को कोरिया में स्टील, इंजीनियरिंग और कृषि उत्पादों जैसे क्षेत्रों में अपने उत्पादों का निर्यात करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
  - व्यापार घाटा वर्ष 2008-09 के 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

## व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता:

- **परिचय:**
  - यह एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें सेवाओं एवं निवेश के संबंध में व्यापार और आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों पर बातचीत करना शामिल है। यह व्यापार सुविधा एवं सीमा शुल्क सहयोग, प्रतस्पर्द्धा तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे क्षेत्रों पर बातचीत किये जाने पर भी विचार कर सकता है।
  - साझेदारी या सहयोग समझौते मुक्त व्यापार समझौतों की तुलना में अधिक व्यापक हैं।
  - CEPA व्यापार के नयिमक पहलू को भी देखता है और नयिमक मुद्दों को कवर करने वाले एक समझौते को शामिल करता है।
- **अन्य देशों के साथ भारत के CEPA:**
  - भारत ने दक्षिण कोरिया और जापान के साथ CEPA पर हस्ताक्षर किये हैं।
  - वर्ष 2021 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने औपचारिक रूप से भारत-यूएई व्यापक आर्थिक सहयोग तथा भागीदारी समझौते (CEPA) पर वार्ता शुरू की थी।
  - भारत बांग्लादेश के साथ भी व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को आगे बढ़ाना चाहता है।

## भारत-दक्षिण कोरिया संबंध:

- **राजनीतिक:**

- कोरिया युद्ध (वर्ष 1950-53) के दौरान युद्धरत दोनों पक्षों (उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया) के मध्य भारत ने युद्धविराम समझौता कराने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। भारत द्वारा प्रायोजित इस संकल्प को स्वीकार कर लिया गया और 27 जुलाई, 1953 को युद्ध विराम की घोषणा हुई।
- मई 2015 में द्विपक्षीय संबंधों को 'वर्षीय सामरिक भागीदारी' हेतु उन्नत किया गया।
- भारत ने दक्षिण कोरिया की दक्षिणी नीति में एक अहम भूमिका निभाई है, जिसके तहत कोरिया अपने प्रभावी क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी संबंधों का विस्तार करना चाहता है।
- दक्षिण कोरिया भारत की एकट ईस्ट पॉलिसी (Act East Policy) का एक प्रमुख सहयोगी है जिसके अंतर्गत भारत का उद्देश्य आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और एशिया-प्रशांत देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को विकसित करना है।

#### ■ आर्थिक:

- भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार व आर्थिक संबंधों ने हाल के वर्षों में गतिपकड़ी है, जिसके तहत वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2018 में 21.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है और यह पहली बार है जब दोनों देशों के व्यापार ने 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आँकड़ा पार किया है।
- जनवरी-दिसंबर 2020 में द्विपक्षीय व्यापार 16.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया था।
- वर्ष 2010 के बाद से स्थापित द्विपक्षीय व्यापक **आर्थिक सहयोग समझौते (सीईपीए)** से व्यापार और निवेश दोनों में वृद्धि हुई है।
- कोरिया से निवेश सुविधा के लिये भारत ने '**इन्वेस्ट इंडिया**' के अंतर्गत एक '**कोरिया प्लस**' पहल को शुरू किया है जो निवेशकों का मार्गदर्शन, सहायता करने और संवर्द्धित करने की सुविधा प्रदान करेगी।
- सितंबर 2020 तक भारत में दक्षिण कोरिया का कुल **प्रत्यक्ष वदेशी निवेश** लगभग 6.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और यह भारत के प्रमुख निवेशकों में से एक है।

#### ■ रक्षा:

- वर्ष 2005 में दोनों पक्षों ने वर्ष 2006 में दोनों तट रक्षकों के बीच सहयोग पर रक्षा और रसद तथा एक अन्य समझौता ज्ञापन (एमओयू) में सहयोग के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- अब तक भारतीय और दक्षिण कोरियाई तटरक्षकों ने अंतरसंचालनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से पाँच अभ्यास किये हैं।
- इन अभ्यासों में से सबसे हाल ही में चेन्नई के तट पर आयोजित किया गया अभ्यास था, जिसका नाम **सहयोग-ह्येब्ल्येओग (Sahyog-Hyeoblyeog) 2018** है।
  - **सहयोग-ह्येब्ल्येओग हृदि महासागर क्षेत्र** में समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिये दो **तट रक्षकों** के बीच एक समझौता ज्ञापन की प्रस्तावित स्थापना का हिस्सा है।
- मई 2021 में भारतीय रक्षा मंत्री और उनके दक्षिण कोरियाई समकक्ष ने दिल्ली छावनी में एक समारोह में **भारत-कोरिया फ्रेंडशिप पार्क** का उद्घाटन किया।
- वर्ष 1950-53 के कोरियाई युद्ध के दौरान **भारतीय सेना के योगदान को याद करने के लिये पार्क का निर्माण** किया गया था।

#### सांस्कृतिक:

- कोरियाई बौद्ध भिक्षु हाइको या होंग जियाओ ने 723 से 729 ईस्वी के दौरान भारत की यात्रा की और उन्होंने **भारत के पाँच साम्राज्यों की तीर्थयात्रा** नामक यात्रा वृत्त लिखा। यह यात्रा वृत्त भारतीय संस्कृति, राजनीति और समाज का ज्वलंत वर्णन करता है।
- नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर ने 1929 में कोरिया के गौरवशाली अतीत और इसके उज्ज्वल भविष्य के बारे में एक छोटी लेकिन विचित्रोत्तेजक कविता '**लैप ऑफ द ईस्ट**' की रचना की थी।
- भारत तथा कोरिया गणराज्य के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाने के लिये **अप्रैल 2011 में सियोल में तथा दिसंबर 2013 में बूसान में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र (ICC)** का गठन किया गया।

#### दोनों देशों द्वारा साझा किये गए बहुपक्षीय मंच:

- [संयुक्त राष्ट्र](#)
- [वशिव व्यापार संगठन](#)
- [आसियान प्लस](#)
- [पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन \(EAS\)](#)
- [जी-20](#)

#### आगे की राह

- भारत-कोरिया गणराज्य (Republic of Korea) संबंधों ने हाल के वर्षों में गतिपकड़ी है। वर्तमान में ये संबंध **बहुआयामी** हो गए हैं, जो **हतियों के पर्याप्त अभिसरण, आपसी सद्भाव और उच्च स्तरीय आदान-प्रदान** से प्रोत्साहित हुए हैं।
- हालाँकि **इससे भारत और दक्षिण कोरिया के बीच संबंधों के विस्तार के साथ-साथ एशिया में एक अद्वितीय संबंध बनाने की काफी संभावनाएँ व्यक्त की गई हैं।** इसके लिये एक ऐसी राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है जो विविध क्षेत्रों (जैसे- सांस्कृतिक संबंधों, लोगों के मध्य संपर्क बनाने, लोकतंत्र और उदार मूल्यों का उपयोग करने तथा सभ्यतागत संबंधों) को मजबूत करने की कल्पना करता हो।

#### स्रोत: पी.आई.बी

## भारतीय जेलों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की मान्यता

### प्रलिस के लिये:

ट्रांसजेंडर व्यक्ता (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और इसके प्रावधान

### मेन्स के लिये:

भारतीय जेलों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा से संबंधित मुद्दे, इस दशा में उठाए गए कदम

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर कैदियों की गोपनीयता, गरमा सुनिश्चिती करने के लिये राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के कारागार प्रमुखों को दशा-नरिदेश जारी किये गए हैं।

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2020 में देश भर की जेलों में 70 ट्रांसजेंडर कैदी थे।
- यह एडवाइजरी ट्रांसजेंडर व्यक्ता (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के आलोक में जारी की गई थी, जो जनवरी 2020 से लागू हुई थी।

## प्रमुख बडि

- जेलों का बुनयादी ढाँचा:**
  - नजिता के अधिकार और कैदियों की गरमा को बनाए रखने के लिये ट्रांसमेन और ट्रांस वुमन के लिये अलग-अलग वार्ड और अलग शौचालय एवं शॉवर की सुवधा।
- आत्म-पहचान का सम्मान:**
  - प्रवेश प्रक्रियाओं, चकितिसा परीक्षण, तलाशी, कपड़े, पुलसि अनुरक्षण की मांग, जेलों के भीतर उपचार और देखभाल के दौरान ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की आत्म-पहचान का हर समय सम्मान कया जाना चाहिये।
  - ट्रांसजेंडर व्यक्ता कानून के तहत ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुवधाजनक करना।
- जाँच प्रोटोकॉल:**
  - जाँच उनके पसंदीदा लिये के व्यक्ता कया कसिी प्रशक्ति चकितिसा पेशेवर या खोज करने में प्रशक्ति एक पैरामेडिक द्वारा की जानी चाहिये।
  - तलाशी करने वाले व्यक्ता को खोजे जा रहे व्यक्ता की सुरक्षा, गोपनीयता और गरमा सुनिश्चिती करनी चाहिये।
- जेल में प्रवेश:**
  - पुरुष और महिला के अलावा अन्य श्रेणी के रूप में "ट्रांसजेंडर" को शामिल करने के लिये जेल प्रवेश रजिस्टर को उपयुक्त रूप से संशोधित कया जा सकता है।
  - इसी तरह का प्रावधान कारागार प्रबंधन प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिये कया जा सकता है।
- स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच:**
  - ट्रांसजेंडर कैदियों को लैंगिक पहचान के आधार पर बनिा कसिी भेदभाव के स्वास्थ्य सेवा का समान अधिकार होना चाहिये।
- बाहरी दुनया के साथ संचार:**
  - उन्हें परविक्षा, कल्याण या पुनर्वास अधिकारियों द्वारा अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, दोस्तों और कानूनी सलाहकारों व देखभाल के बाद की योजना पर बातचीत करने का अवसर दया जाना चाहिये।
- कारागार कार्मिकों का प्रशक्ति और संवेदीकरण:**
  - यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये लिये पहचान, मानवाधिकार, यौन अविन्यास और कानूनी ढाँचे की समझ वकिसति करने हेतु कया जाना चाहिये।
  - इसी तरह की जागरूकता का प्रसार अन्य बंदियों में भी कया जाना चाहिये।

## ट्रांसजेंडर से संबंधित प्रमुख पहलें

- ट्रांसजेंडर व्यक्ता अधिनियम, 2019:**
  - यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्ता को एक ऐसे व्यक्ता के रूप में परभाषित करता है, जसिका लिये जन्म के समय दये गए लिये से मेल नहीं खाता है। इसमें ट्रांसमेन और ट्रांस-वीमेन, इंटरसेक्स भनिता वाले व्यक्ता, लिये-कवीर व सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ता जैसे ककिनर आदी शामिल हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय**
  - राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) बनाम भारत संघ, 2014: सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को 'थर्ड जेंडर' घोषित

किया है।

- भारतीय दंड संहिता (2018) की धारा 377 के प्रावधानों की समाप्ति: सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया।

#### ■ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020:

- केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत नियम बनाए हैं।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये 'राष्ट्रीय पोर्टल' 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020' के अनुरूप शुरू किया गया था।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये 'आश्रय गृह योजना':
  - ज़रूरतमंद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय उनके लिये 'गरमि गृह' नामक आश्रय गृह स्थापित कर रहा है।

## जेल अधिनियम और ट्रांसपर्सन

- भारत में कारागार अधिनियम, 1894, कारागारों के प्रशासन को वनियमित करने वाला केंद्रीय कानून है।
- यह अधिनियम मुख्य रूप से दीवानी कानून के तहत दोषी ठहराए गए कैदियों को आपराधिक कानून के तहत दोषी ठहराए गए कैदियों से अलग करता है।
- दुर्भाग्य से यह अधिनियम यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान (SOGI) के आधार पर यौन अल्पसंख्यकों को कैदियों के एक अलग वर्ग के रूप में भी मान्यता नहीं देता है।
- यह केवल महिलाओं, युवा अपराधियों, वचाराधीन कैदियों, दोषियों, सविलि कैदियों, बंदियों और उच्च सुरक्षा वाले कैदियों जैसी श्रेणियों में कैदियों का वर्गीकरण करता है।
- 'राष्ट्रीय वधिक सेवा प्राधिकरण' (NALSA) का नरिणय अनुच्छेद-14, 15 और 21 के तहत ट्रांसपर्सन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करते हुए राज्यों को उनके कानूनी और सामाजिक-आर्थिक अधिकारों पर नीतियाँ बनाने का निर्देश देता है।
- यह ट्रांस कैदियों पर भी लागू होता है, क्योंकि जेल और उनका प्रशासन राज्य का विषय है।
- भले ही नालसा के फैसले में दिये गए निर्देश देश के कानून का गठन करते हैं, फिर भी वर्तमान कानूनों में बदलाव लाने की आवश्यकता है।
- हालाँकि जेल अधिनियम, जेल अधिकारियों को उन प्रक्रियाओं का पालन करने की अनुमति देता है जो सख्ती से लिंग-द्विआधारी हैं।
- ये प्रक्रियाएँ न केवल कानून की वैधता को चुनौती देती हैं, बल्कि जेलों के अंदर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर एक तरह की यातना और अपमानजनक व्यवहार को भी बढ़ावा देती हैं।
- यह सब कॉमनवेलथ ह्यूमन राइट्स इनशिएटिवि (CHRI) द्वारा 'लॉसट आइडेंटिटी: ट्रांसजेंडर पर्सनस इनसाइड इंडियन प्रज़िन्स' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट से प्रमाणित होता है।
- यह रिपोर्ट भारतीय जेलों में बंद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने आने वाले मुद्दों पर प्रकाश डालती है।

## आगे की राह:

- औपनिवेशिक जेल अधिनियम अप्रचलित हो गया है और यह संवैधानिक नैतिकता की कसौटी पर वफिल है जो कैंक बहुलवादी और समावेशी समाज की शुरुआत करता है।
- चूँकि संवैधानिक नैतिकता एक ऐसी चीज़ है जसि कानून की प्रकृति और लोगों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाना चाहिये, वर्तमान कानूनों में यौन अल्पसंख्यकों के अधिकारों के ऐसे प्रगतशील दृष्टिकोण की कमी है।
- यौन अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से ट्रांसजेंडर कैदियों के संदर्भ में सुधारों को संबोधित करने के लिये जगरूकता और दस्तावेज़ीकरण दो महत्त्वपूर्ण उपकरण हैं।
- इस प्रकार CHRI उस प्रक्रिया में एक कदम है जो ट्रांसजेंडर कैदियों के इलाज़ के लिये लिंग आधारित दृष्टिकोण की वकालत करता है।
- CHRI की सफ़ारिशों को केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर कैदियों की विशेष ज़रूरतों पर एक 'मॉडल पॉलिसी' लाने के लिये ट्रांस समुदाय के सदस्यों के साथ परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से नालसा के फैसले के जनादेश का सम्मान करने हेतु विचार किया जाना चाहिये।

## स्रोत: द हट्टि

## वशिव व्यापार संगठन (WTO) में भारत की अपील

### प्रलिमिंस के लिये:

डब्ल्यूटीओ, गन्ना, सब्सिडी और काउंटरवेलिंग उपायों पर डब्ल्यूटीओ का समझौता, कृषि पर डब्ल्यूटीओ का समझौता, व्यापार और टैरिफि पर सामान्य समझौता।

## मेन्स के लिये:

वशिव व्यापार संगठन और इसकी भूमिका, वशिव व्यापार संगठन में चीनी सब्सिडी का मुद्दा, चीनी उद्योग में सब्सिडी का महत्त्व ।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने **वशिव व्यापार संगठन** (World Trade Organisation's- WTO) के व्यापार विवाद नपिटान पैनल के एक नरिणय के खिलाफ अपील की है नरिणय दिया गया, जिसमें कहा गया कि चीनी और गन्ने के लिये देश के घरेलू समर्थन उपाय वैश्विक व्यापार मानदंडों के अनुसार नहीं है ।

- इससे पूर्व वशिव व्यापार संगठन द्वारा चीन को 'विकासशील देश' का दर्जा दिया गया था, WTO के इस नरिणय पर कई देशों द्वारा चर्चा व्यक्त करते हुए आपत्ति दर्ज की गई, साथ ही यह एक विवादास्पद मुद्दा बन गया था ।

## प्रमुख बिंदु

- **भारत की अपील:**
  - भारत द्वारा वशिव व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय में अपील दायर की गई थी, जो इस प्रकार के व्यापार विवादों पर अंतिम प्राधिकरण है ।
  - पैनल की रिपोर्ट में नहिंति कुछ "कानून की त्रुटियों या कानूनी व्याख्या के संबंध में भारत ने अपील की है एवं निकाय से "पैनल के नषिकर्षों, नरिणयों और सफारिशों को उलटने, संशोधित करने या विवादास्पद एवं बिना किसी कानूनी प्रभाव के" घोषित करने का अनुरोध किया है ।
  - भारत ने पैनल के नषिकर्षों की समीक्षा की मांग की है कि चीनी मलियों को विपणन लागत पर खर्च के लिये सहायता प्रदान करने की योजना, जिसमें हैंडलिंग, उन्नयन और अन्य प्रसंस्करण लागत तथा अंतरराष्ट्रीय एवं आंतरिक परिवहन की लागत व अधिकतम स्वीकार्य नरियात मात्रा योजना (Maximum Admissible Export Quantity- MAEQ) की शर्तों के संदर्भ में वर्ष 2019-20 के लिये चीनी के नरियात पर माल ढुलाई शुल्क शामिल हैं ।
- **भारत के खिलाफ शिकायत:**
  - ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और ग्वाटेमाला का मानना है कि भारत के घरेलू समर्थन और नरियात सब्सिडी के उपाय कृषि पर डब्ल्यूटीओ के समझौते और सब्सिडी एवं काउंटरवेलिंग मानकों (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures-SCM) पर समझौते व **प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते** (General Agreement on Trade and Tariffs-GATT) के अनुच्छेद XVI के विभिन्न प्रावधानों के साथ असंगत प्रतीत होते हैं ।
  - तीनों देशों ने शिकायत की है कि भारत गन्ना उत्पादकों को घरेलू समर्थन प्रदान करता है जो गन्ना उत्पादन के कुल मूल्य के 10% के न्यूनतम स्तर से अधिक है तथा कृषि पर हुए समझौते के असंगत था ।
  - उन्होंने भारत की कथित नरियात सब्सिडी, उत्पादन सहायता और बफर स्टॉक योजनाओं और विपणन एवं परिवहन योजना के तहत सब्सिडी का मुद्दा भी उठाया ।
  - ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर वर्ष 1995-96 के बाद गन्ने और चीनी के लिये अपने वार्षिक घरेलू समर्थन तथा वर्ष 2009-10 के बाद से अपनी नरियात सब्सिडी को अधिसूचित करने में "वफिल" होने का आरोप लगाया, जो कि एससीएम (SCM) समझौते के प्रावधानों के साथ असंगत था ।
  - मामले को देखने और अपनी रिपोर्ट की जाँच के लिये डब्ल्यूटीओ के विवाद नपिटान निकाय **Dispute Settlement Body -DSB** द्वारा एक पैनल का गठन किया गया था ।

## सब्सिडी और काउंटरवेलिंग उपायों पर वशिव व्यापार संगठन का समझौता

- एससीएम पर डब्ल्यूटीओ समझौता सब्सिडी के उपयोग को अनुशासित करता है और यह उन कार्यों को नयित्तरित करता है जो देश सब्सिडी के प्रभावों का मुकाबला करने के लिये कर सकते हैं ।
- समझौते के तहत कोई देश डब्ल्यूटीओ की विवाद-नपिटान प्रक्रिया का उपयोग सब्सिडी को वापस लेने या इसके प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने के लिये कर सकता है या देश अपनी जाँच शुरू कर सकता है तथा अंततः सब्सिडी वाले आयातों पर अतिरिक्त शुल्क ("काउंटरवेलिंग ड्यूटी") लगा सकता है जो कि घरेलू उत्पादकों को नुकसान पहुँचा रहे हैं ।

## कृषि पर वशिव व्यापार संगठन का समझौता

- इसका उद्देश्य व्यापार बाधाओं को दूर करना और पारदर्शी बाज़ार पहुँच तथा वैश्विक बाज़ारों के एकीकरण को बढ़ावा देना है ।
- वशिव व्यापार संगठन की कृषि समिति, समझौते के कार्यान्वयन की देखरेख करती है और सदस्यों को संबंधित चर्चाओं को दूर करने के लिये एक मंच प्रदान करती है ।

## शुल्क तथा व्यापार पर सामान्य समझौता

- GATT की उत्पत्ति वर्ष 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई, जिसने द्वितीय वशिव युद्ध के बाद की वित्तीय प्रणाली की नींव रखी और दो प्रमुख संस्थानों **अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष** (IMF) तथा **वशिव बैंक** की स्थापना की ।
- वर्ष 1947 में जनिवा में 23 देशों द्वारा हस्ताक्षरित GATT के रूप में एक समझौता 1 जनवरी, 1948 को नमिनलखित उद्देश्यों के साथ लागू हुआ:
  - आयात कोटा के उपयोग को समाप्त करना ।

- वाणिज्यिक वस्तुओं के व्यापार पर शुल्क को कम करने करना ।
- GATT 1948 से अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने वाला एकमात्र बहुपक्षीय साधन (संस्था नहीं) बन गया जब तक कविवर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना नहीं हुई ।
  - GATT 1947 को समाप्त कर दिया गया और WTO ने GATT 1994 के रूप में इसके प्रावधानों को संरक्षित रखा तथा माल का व्यापार संचालन जारी रखा ।
  - उरुग्वे राउंड वर्ष 1987 से वर्ष 1994 तक आयोजित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप मारकेश समझौता हुआ, इसने विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की ।
- **भारत का रुख:**
  - भारत ने कहा कि "शिकायतकर्त्ता यह दिखाने में वफिल रहे हैं" कि गन्ने और इसकी वभिन्न योजनाओं के लिये भारत का बाज़ार मूल्य समर्थन कृषि पर समझौते का उल्लंघन करता है ।
  - इसने यह भी तर्क दिया कि आपूर्ति शृंखला प्रबंधन समझौते के अनुच्छेद 3 की आवश्यकताएँ अभी तक भारत पर लागू नहीं हैं और भारत में आपूर्ति शृंखला प्रबंधन समझौते के अनुच्छेद 27 के अनुसार नरियात सब्सिडी, यदि कोई हो, को समाप्त करने के लिये 8 वर्ष की चरणबद्ध अवधि है ।
- **पैनल के नषिकर्ष:**
  - विवाद नपिटान पैनल ने चीनी क्षेत्र में भारत के घरेलू समर्थन और नरियात सब्सिडी उपायों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन माना है ।
  - पैनल ने पाया कविवर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक लगातार पाँच चीनी मौसमों के लिये भारत ने गन्ना उत्पादकों को गन्ना उत्पादन के कुल मूल्य के 10% के अनुमत स्तर से अधिक गैर-छूट उत्पाद-वशिष्ट घरेलू समर्थन प्रदान किया ।
    - भारत ने तर्क दिया कि इसकी "अनविर्य न्यूनतम कीमतों का भुगतान केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा नहीं बल्कि चीनी मलियों द्वारा किया जाता है इसलिये यह बाज़ार मूल्य समर्थन का गठन नहीं करता है", हालाँकि पैनल ने इस तर्क को खारजि कर दिया और कहा कि "बाज़ार मूल्य समर्थन के लिये सरकारों को खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं होती ।"
- **पैनल की सफिराशैं:**
  - भारत को अपने विश्व व्यापार संगठन के नियमों असंगत उपायों को कृषि समझौते और SCM समझौते के तहत अपने दायित्वों के अनुरूप लाना चाहिये ।
  - भारत को 120 दिनों के भीतर उत्पादन सहायता, बफर स्टॉक और वपिणन एवं परिवहन योजनाओं के तहत अपनी कथित सब्सिडी वापस लेनी चाहिये ।

## विश्व व्यापार संगठन में विवाद नविरण:

- विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य जनिवा स्थिति बहुपक्षीय नकियाय में मामला दर्ज कर सकते हैं, यदि उन्हें लगता है कि किसी सदस्य देश का कोई विशेष व्यापार उपाय या नीति विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के खिलाफ है ।
- किसी विवाद को सुलझाने के लिये द्वपिकषीय परामर्श पहला कदम है । यदि दोनों पक्ष परामर्श के माध्यम से मामले को हल करने में सक्षम नहीं हैं, तो एक विवाद नपिटान पैनल की स्थापना की जा सकती है ।
- पैनल के फैसले या रिपोर्ट को विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय नकियाय में चुनौती दी जा सकती है ।
  - दलिचस्प बात यह है कि इस नकियाय में सदस्यों की नयिकर्त्ता के लिये सदस्य देशों के बीच मतभेदों के कारण विश्व व्यापार संगठन का अपीलीय नकियाय काम नहीं कर पा रहा है । अपीलीय नकियाय के पास पहले से ही 20 से अधिक विवाद लंबित हैं । अमेरिका सदस्यों की नयिकर्त्ता पर रोक लगाता रहा है ।

## स्रोत: बज़िनेस स्टैंडर्ड